तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज
14/3/23	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। विप्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के अधिवक्ता अनुपस्थित। विप्रार्थीगण को मय अधिवक्ता कोर्ट समय में तीन बार तीन-तीन आवाजें दिलाई गई। बावजूद आवाजें दिलाने के अनुपस्थित रहने के ~~[illegible]~~ विप्रार्थीगण के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की जाती है। वकील प्रार्थीगण के बहस सुनी गई। आदेश अलग से लिखकर जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। आदेश की पालनार्थ तहसील जावे। पालना प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे। पत्रावली नियम अनुसार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.03.21 16:48:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

रण संख्या: 210/2022

प्रार्थीगण :–

1. जैरूपाराम पुत्र रायमलराम
2. आसूराम पुत्र जवानाराम
3. छोगाराम पुत्र रूगाराम
4. धूकाराम पुत्र जवानाराम
5. पांचाराम पुत्र जवानाराम

   जाति रबारी निवासी आलपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. जगमालराम पुत्र उदाराम
2. देवाराम पुत्र उदाराम
3. भावाराम पुत्र उदाराम
4. लेहरोदेवी पत्नी उदाराम
5. गोकलाराम पुत्र पीराराम जाति राईका
6. भगवानाराम पुत्र दुर्गाराम जाति मेगवाल
7. मगाराम पुत्र रायमलराम
8. मालाराम पुत्र रायमलराम

   जाति रबारी निवासी आलपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
9. तहसीलदार गुड़ामालानी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित

1. **श्री डालूराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण**

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 14.02.2023

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री डालूराम चौधरी की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी सम्बत् 2078 (वर्ष 2021–...) सरहद मौजा आलपुरा के खेत खसरा नम्बर 215/4 रकबा 2.2015 ... किस्म बी.सो. का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की मेंठ नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.03.21 16:48:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि तहसील गुड़ामालानी पटवार क्षेत्र आलपुरा के राजस्व ग्राम आलपुरा के खेत खसरा नम्बर 215/4 रकबा 2.2015 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को 1000/– शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 14/02/23 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.03.21 16:48:28 IST
Reason: SelfAttested